मानव अधिकार से सामाजिक समन्वय की ओर

डॉ. एम. डी. थॉमस

'अधिकार' वह बुनियादी हकीकत है जिसके बलबूते इन्सान की जिंदगी जीने लायक बनती ह। वह उसे अपने प्राण के साथ प्राणदाता से धरोहर के रूप में मिला है। माँ की कोख से लेकर मौत तक वह जिंदगी से इतना घुला-मिला हुआ है कि उससे अलग कर जिंदगी की कल्पना तक कतई तर्क-संगत नहीं लगती है। अधिव ार इन्सान के लिये जीवन का ही पर्याय साबित होता है।

'मानव अधिकार' इन्सान को भ्रूण से लेकर पलने-बढ़ने के तौर-तरीकों को ही नहीं, सुचारू रूप से पूरी जिंदगी जीने की तमाम संभावनाओं को भी अपने दायरे में शामिल करता है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ इज्जत, मान-सम्मान, प्यार, सहयोग, आदि भी इन्सान के लिए जीने की खातिर अनिवार्य हैं। सच कहा जाय, मानव अधिकार ही वह बुनियाद है, जिस पर जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। जीवन की उच्चतम मंजिल की ओर ले जानेवाली सीढ़ी को इसी बुनियाद पर सदैव टिकी रहना दरकार है।

मानव अधिकार में 'हर एक को अपना हिस्सा मिले', यह भाव निहित है। इन्साफ का भी बस यही कायदा है। नीति और व्यवहार का इन्तज़ाम ऐसा हो जिससे संसार के सभी मनुष्यों का 'समान रूप से कल्याण' हो और 'सब उन्नत, सन्तुष्ट और सुखी रहे', यही अधिकार का व्यापक मकसद है। 'मानवता की प्रतिष्ठा' का भाव मानव अधिकार की अवधारणा का मर्म है। यह पुनीत भाव किंचित भी भंग न हो, मानव अधिकार की, बस यही प्रतिबद्धता है।

विडंबना यह है कि आम तौर पर समूचे समाज के और खास तौर पर हमारे देश के कुछ लोग अपने पास आय से या जरूरत से बहुत ज्यादा माल के मालिक बने हुए हैं और बहुतेरे लोगों को, मारे-मारे तरसते-फिरते रहने पर भी, अपनी बुनियादी जरूरतें नसीब नहीं होती है। गरीबों, कमजोरों, ताकतहीनों और आवाजहीनों की यह लाचारी इस बात की सबूत है कि भारत के सामाजिक जीवन का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ऐसे हालात में जीने के लायक माहौल मुहैया कराने और देश में तालमेल बनाये रखने के लिये मानव अधिकार का एक पुखता मुहिम ही चलाना पड़ता है।

भारत देश की सबसे बड़ी दुर्दशा है कि ज्यादातर लोग आर-पार तौर पर खुदगर्ज हैं और बहुत आसानी से वे अपने में ही खो जाते हैं। कुछ इने-चुने लोगों को छोड़कर बाकी आबादी में औरों के लिये अपने भीतर जगह नहीं के बराबर है। दूसरों के लिये, देश के लिये और समाज के लिये कोई खास सोच उनके मन में अक्सर कौंधती ही नहीं। सबसे ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में घोटालेबाज ही नहीं ज्यादातर लोग धड़ल्ले से औरों के हक का जबर्दस्त हनन करते दिखायी देते हैं। कुल मिलाकर शासक वर्ग भी 'सर्व जन सुखाय' के प्रति जिम्मेदार नहीं साबित होता है। देश में

भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, मानो वह हर एक के नस-नस में बसा हुआ है। मानव अधिकार की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गयी है, इसमें कोई शक नहीं है।

मानव अधिकार की गरिमा समाजिक समन्वय में प्रतिफलित होती है। व्यक्ति और व्यक्ति, समुदाय और समुदाय तथा संस्था और संस्था के दरमियान मेल-जोल और ताल-मेल हो, सामाजिक जीवन के संतुलन के लिये यह जरूरी है। अन्वय बराबर और सम्यक रूप से हो, तभी समन्वय की भावना बनी रहेगी। हर एक अपनी हद में रहे, हक हरदम फर्ज से युक्त हो, कोई ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का भाव न रखे, औरों को खुद से श्रेष्ठ माने, एक दूसरे की मदद करे और साथ-साथ चलने में माहिर बने, ये सब बातें मानव अधिकार की तहजीब के कानून-कायदे हैं। मानव अधिकार की ऐसी बारीकियों से सामाजिक समन्वय की दिशा सहज रूप से खुल जाती है। इन्सानी जिंदगी को जीन की बस यही कला है। फकत जरूरत इस बात की है कि मानव अधिकार की चेतना हर एक नागरिक का अपना अहम 'मिशन' बन जाय, जिससे सामाज में आमूल-चूल बदलाव आये। सामाजिक जीवन में समरसता और समन्वय की भावना ही मानव अधिकार की तहजीब का सहज और सुखद फल है।

डॉ. एम. डी. थॉमस
संस्थापक निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ़ हार्मनि एण्ड पीस स्टडीज़, नयी दिल्ली
प्रथम मंजिल, ए 128, सेक्टर 19, सेक्टर 19, द्वारका, नयी दिल्ली 110075

दूरभाष: 09810535378 (p), 08847925378 (p), 011-45575378 (o)
ईमेल : mdthomas53@gmail.com (p), ihps2014@gmail.com (o)
बेबसाइट: www.mdthomas.in (p), www.ihpsindia.org (o)

Twitter: https://twitter.com/mdthomas53
Facebook: https://www.facebook.com/mdthomas53
Academia.edu: https://independent.academia.edu/MDTHOMAS